राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1125/2025

राजेन्द्र सिंह जाट

–अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त सह संयुक्त सचिव–I, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अधीक्षक अधिकारी जिला परिषद झुंझुनू।
4. श्री राजेश कुमार पंचायत समिति बुहाना, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राधिका महरवाल, कैवियटर

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.01.2025 के आदेश द्वारा पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनू से पंचायत समिति बुहाना, जिला झुंझुनू में स्थानांतरित किया गया हैं। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 46 पर है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पंचायत समिति बुहाना, जिला झुंझुनू से पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू में स्थानांतरित कर दिया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रमांक 43 पर प्रदर्शित हो रहा है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी आरपीएससी के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता के पद पर चयनित हुआ और दिनांक 15.03.2015 को नवलगढ़, जिला झुंझुनू में नियुक्त हुआ, जहां वह 14.10.2016 तक रहा, उसके बाद उसका स्थानांतरण पिपराली, सीकर, जिला सीकर में कर दिया गया, जहां से अपीलार्थी एपीओ कर दिया गया और उसके बाद अपीलार्थी को दिनांक 08.04.2021 के आदेश द्वारा जिला परिषद झुंझुनू में स्थानांतरित कर दिया गया, अपीलार्थी को पंचायत समिति नवलगढ़ से पंचायत समिति अलसीसर झुंझुनू में स्थानांतरित कर दिया गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी एक स्थायी विकलांग व्यक्ति है जिसकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक है और उसका एक पैर लकवाग्रस्त है।

अपीलार्थी का ऑपरेशन हुआ था और वह अब वॉकर की सहायता के बिना नहीं चल सकता। (अनुलग्नक–3 व 4) अपीलार्थी की पत्नी भी स्थायी रूप से विकलांग है और उसकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक है। (अनुलग्नक–5)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य